Serial No. 609 Deed No. 544

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **25/01/2017** by **Sarita Devi**
A stamp duty of Rs. **68760**/- and other fees of Rs. **20500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **544** in Book No. **1**, Volume No. **13** on pages from **41** to **56** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **2** / Year **2017**

Date: 25/01/2017 Token No: 648 /2017

Signature with Date
(**Prashant Kumar**)
Registering Officer, **Patna**

दस्तावेज की जाँच किया
एवं
दस्तावेज में अंकित वर्णित विवरणी के अनुरूप सही पाया।
25/1/17
जाँच लिपिक
(प्रवीण कुमार)

SCANNED BY
(BAIKUNTH PRASAD)
OPERATOR

ॐ

विकास कार्य एकरारनामा

(Development Agreement)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 25/1/17 माह जनवरी, सन्

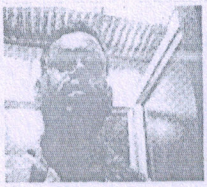
2017 ई० को निम्नलिखित पक्षों के बीच सम्पन्न हुआ।

For Aparna Architect & Associates
Partner
25/01/2017

सरिता देवी
25-1-17

District Registry Office,Patna

Token Number 648 | Reg. Year 2017 | Serial Number 609 | Deed Number 544

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Kamlesh Kumar Singh (Partner)						
Presented By	Sarita Devi						
Executant	Sarita Devi	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Identified By	Vijay Ram						

Sig. Kamlesh Kumar Singh 25/1/17

Sig. सरिता देवी 25·1·17

Sig.

Sig. विजय राम 25/1/17

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2800sop022

सरिता देवी

25/1/17

प्रथम पक्षगण

श्रीमती सरिता देवी पति का नाम श्री विजय राम, निवास स्थान ग्राम वो पोस्ट- बरनौसा, थाना- सिलाव, जिला- नालन्दा, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेगें) जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है। Mob. No.- 9572870185

एवंम

द्वितीय पक्ष

अपर्णा आर्किटेक्ट एवं एसोसिएट्स, निबंधन कार्यालय- 203, हाईटेक आर्केड, राजेन्द्र पथ, जिला- पटना पंजियन सं0 DIN – 02174238 है द्वारा पार्टनर श्री कमलेश कुमार सिंह पिता का नाम श्री भगवान सिंह, निवासी- अनिसाबाद बाईपास रोड, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना रोड, वर्तमान पता- गंगा-301, जलालपुर सिटी, राम जयपाल पथ, बेली रोड, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता, उन्नयकर्त्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।

For Aparna Architect & Associates
Kamlesh Kumar Singh
25/1/17 Patna



यह कि जमीन मालिक मौजा- चितकोहरा, परगना- फुलवारी शरीफ, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना के जिसका थाना नं0- 17 (सतरह), तौजी नं0- 5047, खाता नं0- 161 (एक सौ एकसठ), खेसरा सर्वे प्लौट नं0- 2035 (दो हजार पैतीस), एराजी 1 कट्ठा 2 धुर (एक कट्ठा दो धुर) है, पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जा

सरिता देवी
25-1-17

में है। जिसका पूर्ण दिवरण इस विलेख के कंडिका- 5 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि विलेख में वर्णित सम्पति जमीन मालिक भूस्वामीनी की खरीदारी सम्पति है। जो दिनांक 14.10.2006 ई0 को नविस्ता श्रीमती कुमारी अंजना पति श्री कुमार विजेन्द्र, साकिन वो पोस्ट- कचरा, थाना- सैर बाजार, जिला- सहरसा, हाल मोकाम- सरिस्ताबाद पछियारी टोला, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना से बनाम श्रीमती सरिता देवी (भूस्वामीनी) ने खरीद की है। जिसका वसीका नं0- 11686, बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 556, पेज नं0- 566 से 575, सी0डी0 नं0- 42, सन् 2006 ई0 निबंधन कार्यालय पटना सदर है। जिसपर भू-स्वामीनी खरीदने की तारीख से हीं निर्विवाद रूप से काविज वो दाखिल मालिक मुस्तकिल होती वो रहती वो भी अपने जाम से गालगुजारी रसीद कटाती चली आती है वो है। जिसका जमाबंदी नं0- 2233/1 है। भू-स्वामीनी अपने-अपने परिवार वो संतान वो जायदाद के कर्ता-धर्ता वो खैर खाह मुन्तजीम है।

3. लेख्य प्रकार :-

भूखण्ड विकसित करने हेतु भू-विकासक के साथ अनुरोध (विकास एकरारनामा)

4. भूखण्ड पर बहुमंजली भवन निर्माण पूरा होने पर आवासीय संरचना में कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत भूखण्ड जमीन मालिक का होगा एवं 50 प्रतिशत भू-विकासक (बिल्डर) का होगा।

5. भूखण्ड का विवरण :-

कुल क्षेत्रफल 1 कट्ठा 2 धुर (एक कट्ठा दो धुर) अर्थात् 3.4375 डीसमील है जो मौजा- चितकोहरा, परगना- फुलवारी शरीफ, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना के थाना नं0- 17 (सतरह), तौजी नं0- 5047, खाता नं0- 161 (एक सौ एकसठ),

For Aparna Architect & Associates
Kamlesh Kumar Singh
25/1/17
Partner

25-1-17

खेसरा सर्वे प्लौट नं0- 2035 (दो हजार पैतीस) के अंश में अवस्थित है। जिसका वार्षिक लगान मो0 1 रूपया, अंचल कार्यालय पटना सदर के माध्यम से जमाबंदी संख्या- 2233/1 पर भुगतान किया जाता है। उपरोक्त जमीन पटना नगर निगम तथा जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर के क्षेत्रागत है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

चौहद्दी

उत्तर - श्री मेवा लाल राय वो श्री बालदेव राय

दक्षिण - दस फीट चौड़ा रास्ता बादहु श्री सुरेश राय वगैरह

पूरब - श्री राघो राय वनं0 हाजा

पश्चिम- श्री अजय राय वगैरह

नोट :- उपयुक्त सम्पति वर्ष 2016 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं0- 114 एवं जोन 03 पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो034,38,000/- (चौंतीस लाख अड़तीस हजार) रूपया है।

6. यह कि नक्शा स्वीकृति के एक महीना के भीतर विस्तारक एवं भूखण्ड स्वामी अपने-अपने हिस्से का निर्धारण कर लेगें एवं अपने हिस्से से संबंधित सहमति पत्र का 1000/- रू0 स्टॉम्प पेपर पर आगे-पीछे उत्तर-दक्षिण सभी दिशाओं के फ्लैट का निष्पादन करेगें।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अवरोधि बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते है और इस उद्देश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष बिल्डर को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तो पर दिया गया है :-

For Aparna Architect & Associates
Kamaldeo Kumar Singh
25/1/17 Patna

25-1-17

1. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि यह भूखण्ड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋण-भार नहीं है। साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्जुजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है। यह जमीन पूर्णतः बिकी योग्य है और यह भूखण्ड बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि वे इस भूखण्ड के पूणतः मालिक है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परन्तु अभी तक किसी के साथ न तो बेचे है, न दान की है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य एकरारनामा (एग्रीमेन्ट) स्टैंड करता है।

2. यह कि प्रथम पक्ष इस एग्रीमेन्ट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ इंजिनीयर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सहायता प्रदान करेगें तथा व्यय द्वितीय पक्ष करेगें जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मैटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य, जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

3. यह कि प्रथम पक्ष प्लॉट के उपर द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में सौप दिये है।

for Aparna Architects & Associates
Patna

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखण्ड या भूखण्ड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेगें और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेगें।

5. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि उक्त भूखण्ड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेन्ट को निरस्त करने हेतु एवं उस भूखण्ड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यो में खर्च, किये गए राशि लेने के हकदार होगें, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने किसी प्रकार की दिक्कते पैदा नहीं करेगें।

6. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन के आवासीय संरचना तथा पार्किंग में प्रथम पक्ष का 50 प्रतिशत हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष का 50 प्रतिशत हिस्सा होगा।

7. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि उपर वर्णित भूखण्ड स्वामी के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई अन्य भाई, भतिजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या– 6 के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदार होगें न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्स किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

For Adarsh Architect & Associates
Kamlesh Kumar Gupta
Partner

25-1-17

8. प्रथम पक्ष जरूरत पड़ने पर इस भुखण्ड पर इस बिल्डर द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर हस्ताक्षर करेगें तथा नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न रहेगा।

9. प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें तथा प्रथम पक्ष रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के पूर्व विकासक को निर्गत जमाबंदी रसीद एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगें।

10. प्रथम पक्ष पुनः सहमत है कि अगर निर्माण कार्य में विघ्न या निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद होने पर, जैसे कि भूखण्ड से संबंधित किसी तरह का विवाद को लेकर हुए केस के पश्चात् जिससे भवन निर्माण का कार्य करना बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो, वैसी परिस्थिति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।

11. प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि निर्माण में कार्य का निरीक्षण कर सकते है और किसी तरह का त्रुटि होने पर बिल्डर से कहकर उसका सुधार करवायेगें तथा अधिकृत या बैद्य कार्य बंद कराने का अधिकार जमीन मालिक को नहीं होगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष बहुमंजली भवन के नक्शा संबंधित विभाग/पटना नगर निगम से पास होने की तिथि से लगायत 4 (चार) वर्ष में निर्माण करके पहले पक्ष को उनका हिस्सा सौप देगें। उक्त अवधि में अगर प्रथम पक्ष का हिस्सा नहीं मिलता है तो प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को 6 (छः) माह का अतिरिक्त

Kundan Kumar
25-1-17

समय निर्माण हेतु दिया जायेगा। इसके बाद विलम्ब होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा पर मन्थ हर्जाने के तौर पर प्रथम पक्ष के हिस्से के फ्लैट का किराया मो0 3000/- (तीन हजार) रूपया प्रति फ्लैट के बराबर प्रतिमाह किराया प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को देना होगा।

13. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेगें और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होगें तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होगें और उसका नियमानुकुल समक्ष निबंधन कार्यालय में निबंधन करेगें जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेगें और बिकय के लिए एकरारनामा करेगें। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिकय पत्र हेतु एकरारनामा एवं बिकय पत्र निष्पादित कर सकते है और इस कार्य में प्रथम पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा साथ ही प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से को किसी से बेच सकते है या अपने पास रख सकते है उसमें द्वितीय पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के

For Aparna Architect & Associates
Partner

25-1-17

पूर्ण हिस्से का निर्माण पूर्ण रूप से करके पहले प्रथम पक्ष को दखल कब्जा सौपेगें उसके बाद ही द्वितीय पक्ष अपने हिस्से पर किसी को दखल कब्जा सौपेगें।

15. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि सबसे उपरी छत, सेट बैक, सिढ़ी इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

16. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस बहुमंजली भवन का नाम आपसी सहमती से रहेगा।

17. सभी तरह के खर्चो का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की होगी।

18. बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी, आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विद्युत एवं जेरनेटर द्वारा विद्युत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेगें तथा विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से स्वयं अपने खर्च पर सभी सदस्य एवं जमीन मालिक लेवेगें।

19. यह कि प्रथम पक्ष के बचे हुए जमीन के भू-भाग पर इस अपार्टमेन्ट के रास्ते से निर्विवाद रूप से आने-जाने का अधिकार बना रहेगा। इसमें किसी भी पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

For Aparna Architect & Associates
Partner

20. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युकत अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होगें तथा उसी अनुपात में जमीन मालिक एवं केताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

21. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रकियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूंजी समावेश द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक-ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैट/पार्किंग के एवज में बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ 50 प्रतिशत (पच्चास प्रतिशत) क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेगें। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेगें।

22. यह कि विकासक को उक्त फ्लौट के साथ बाद में मिले फ्लौट को मिलाकर एक साथ या ब्लॉकवाईज विकास कर सकते है, जिसमें प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) एवं उनके उतराधिकारी को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

23. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा।

एनेक्चर

कम्पलेक्स के निर्माण के अन्तर्गत आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरण :-

1. फाउन्डेशन आर0 सी0 सी0 पाईलिंग
2. स्ट्रक्चरल आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क ईटवर्क सिमेन्ट गोर्टार के साथ
4. छत आर0 सी0 सी0
5. फर्श मार्बल/विट्रीफाईड टाईल्स
6. पलास्टर दिवाल सिमेन्ट मोर्टार (1:6) सिंलिग सिमेन्ट मोर्टार (1:4)।
7. दरवाजा हार्डउड लकड़ी का चौखट 32 मी0 मी0 मोटा फ्लाश डोर प्राइमर सहित।
8. खिड़की लकड़ी फ्रेम खिड़की शीशा लगा।
9. रसोई घर मार्बल का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 24 इंच गलेज्ड-टाईल्स।
10. बाथरूम दिवाल में 7 फीट गलेज्ड टाईल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोरिंग/टाईल्स।
11. विद्युत वायरिंग कॉन्सिल्ड पी0 वी0 सी0 कॉनड्युट वायरिंग सहित स्टैण्डर्ड क्वालिटी का फिटिंग-स्वीच के साथ।
12. दीवाल फिनिशिंग अंदर से प्लास्टर ऑफ पेरिस/वालपुटी
13. टी0 वी0 प्वाईन्ट, सभी कमरों में एक प्वाईन्ट।
14. टेलिफोन प्वाईट, सभी फ्लैटों में एक प्वाईट।
15. सिवरेज उपर्युक्त व्यवस्था सहित।
16. जेनेरेटर एवं इंटरकॉम का प्रावधान रहेगा।
17. लिफ्ट स्टैण्डर्ड कम्पनी का
18. जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा होगा।
19. भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़ सिमेंट एवं ईट ए-ग्रेड पैम्प मार्क का होगा तथा नल जगवार कम्पनी, मार्बल डुमरी, टाईल्स कजरिया या सोमानी का होगा।

For Aparna Architect & Associates
Partner

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने-अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाह का हस्ताक्षर

1. Ritesh Kumar
Vijay Kumar
West Sterilisation
Vikashpuri Colony
Patna-2
25/1/17

2. विजय राम
पिता - श्री मनोरी राम
साo - बरनौसा
थाना - सिलाव
जिला - नालन्दा
25/1/17

भू-स्वामिणी का हस्ताक्षर

सीता देवी
25-1-17

डेभलपर्स का हस्ताक्षर

For Aparna Architect & Associates
Kamalesh Kumar Singh
25/01/2017
Partner

कम्प्युटरकर्ता

राजू कुमार

प्रारूपकर्ता

सभी प्रकार के रोक से मुक्त पाया

(अमित कुमार)

चलान का सत्यापन बैंक चालान से किया।

(महजबीन रजा)

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 68760/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 89260/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		

TOTAL- 20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20500

Date: 25/01/2017

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 25th January 2017 by Sarita Devi Vijay Ram by profession Others. Status - Executant

सरिता देवी 25/1/17

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:25/01/2017

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Vijay Ram' age '47' Sex 'M', 'Ganauri Ram', resident of 'Barnausa, Silaw, Nalanda'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 25/01/2017

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 13 on pages on 41 -56, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-2 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 25/01/2017

Token No. : 648 **Year : 2017** **S.No. 609** **SCORE Ver.4.1**

Registering Officer
Patna

Deed No . :d No . : 544

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA

IDENTITY CARD

RAB3467909



निर्वाचक का नाम	सरिता देवी
Elector's Name	Sarita Devi
पति का नाम	विजय राम
Husband's Name	Vijay Ram
लिंग /Sex	महिला/Female
जन्म तिथि Date of Birth	20/08/1972

सरिता देवी

RAB3467909

ता : सरिस्ताबाद
शहर/गाँव - पटना,
अंचल/थाना - पटना
सदर,
जिला - पटना, 800002

Address : Saristabad
Town/Vill - Patna,
Anchal/Thana - Patna
Sadar,
Distt - PATNA,
800002

दिनांक / Date : 01/01/2015

181, दीघा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer 181, Digha, Constituency

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने हेतु इस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this card no. in the relevant form for including your name in the roll of the changed address and to obtain the card with the same number

376/1466

सत्यमेव जयते

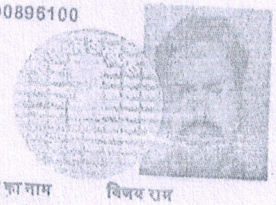
भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA

IDENTITY CARD

ATD0896100



निर्वाचक का नाम विजय राम

Elector's Name Vijay Ram

पिता का नाम गनौरी राम

Father's Name Ganauri Ram

लिंग /Sex पुरुष/Male

जन्म तिथि
Date of Birth X X X X 1 9 6 9

पहचान

ATD0896100

पता : बरनौसा
शहर/गाँव - बरनौसा,
अंचल - राजगीर,
जिला - नालन्दा, 803114

Address : Baranausa
Town/Vill - Baranausa,
Anchal - Rajgir,
Distt. - Nalanda, 803114

दिनांक / Date : 19/7/2010

176,नालन्दा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of Electoral Registration
Officer 176.Nalanda. Constituency

पता बदलने पर, नये घर पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें
In case of change in address, mention this card no. in the relevant form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.

अंदर मो० शब्दों में (रू०) मात्र

PAN NO.- AAICA0391H

बिहार सरकार

(कोषागार कार्यालय हेतु) **निबंधन विभाग** गैर बैंकिंग

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/पता- अपर्णा आर्किटेक्ट एवं एसोसिएट्स, पता- 203, हाईटेक आर्केड, राजेन्द्र पथ, (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) जिला- पटना
2. दस्तावेज का प्रकार - डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट
3. निबंधन कार्यालय - पटना सदर
4. बैंक का नाम एवं शाखा- S.B.I. Main Branch Patna
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण:

क्र० सं०	भुगतान का मद एवं शीर्ष	कुल रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष-0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष- 103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई- 7549 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड- R0030021030001	68760
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष- 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष 03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष 104 दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष-0001, प्राथमिक इकाई 7549 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड- R0030031040001	20,000
(ग)	भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष 0029 भूराजस्व लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ उप शीर्ष 0006 अन्य मदें प्राथमिक इकाई 7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड- R0029008000006	
	भुगतान का माध्यमः नगद/चेक/ड्राफ्ट **कुल योग**	**88,760**
	कुल राशि शब्दों में (अठासी हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र।	

स्थान :- पटना सदर

तारीख :-

जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं० तारीख उपर्युक्त कालम संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू०/- शब्दों में रूपये प्राप्त किया।

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज जमा करने का विवरण

बैंक में संधारण हेतु

जमाकर्ता का पताः-

राशि रू०/ शब्दों में एस्को लेखा सं०:

जमा करने की तिथिः

बैंक स्क्रॉल सं०

बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

